

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-86/2014-15

अजित कुमार वगैरह बनाम विजय शर्मा

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																		
1	2	3																		
10/07/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं० 28/2014-15 में भूमि/सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 09.01.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। प्रथम पक्ष 1. श्री अजित कुमार, पिता श्री अरविन्द कुमार 2. श्रीमती नीतू गुप्ता, पति श्री अजित कुमार, बोरिंग रोड, थाना-बुद्धा कालोनी, जिला-पटना। द्वितीय पक्ष 1. श्री विजय शर्मा, पिता नामालुम, मोहल्ला-बुद्धा कालोनी थाना-बुद्धा कालोनी, जिला-पटना। विवादित भूखण्ड का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="300 1064 1228 1254"> <thead> <tr> <th>अंचल</th> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पटना सदर</td> <td>दुजरा</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>400</td> <td>2 कठ्ठा 9 धुर</td> </tr> </tbody> </table> <p>इस वाद में आवेदकगण दिनांक 23.08.2017, 11.10.17, 28.11.17, 16.01.18, 07.03.18 एवं 25.04.18 लगातार 6(छः) तिथियों को अनुपस्थित रहने के पश्चात दिनांक 13.06.2018 को उपस्थित हुए। उसके बाद पुनः उनके द्वारा वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 26.06.18 को आवेदकगण को अंतिम मौका दिये जाने के बाद भी आवेदकगण सुनवाई की अगली तिथि 07.07.18 को उपस्थित नहीं हुए। आवेदकगण आज भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदकगण के आवेदन के अनुसार (1) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 19.05.2014 को निबंधित केवाला से श्रीमती अनुजा झा से खरीदी गयी है। खरीदगी के पश्चात आवेदकगण प्रश्नगत भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में है। (2) विक्रेता अनुजा झा ने प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 29.01.2008 के केवाला से मोस्मात विमला झा से खरीदी थी। विमला झा के पति ने प्रश्नगत खेसरा का 1 कठ्ठा 5 धुर 23.08.1990 के केवाला से सुमित्रा देवी से तथा 1 कठ्ठा 5 धुर दिनांक 19.11.1990 के केवाला से देवन्ती देवी से खरीदी थी। देवन्ती देवी एवं सुमित्रा देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक</p>	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	1	2	3	4	5	6	पटना सदर	दुजरा	4	16	400	2 कठ्ठा 9 धुर	
अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा															
1	2	3	4	5	6															
पटना सदर	दुजरा	4	16	400	2 कठ्ठा 9 धुर															

10.12.1979 के केवाला से राजेन्द्र प्रसाद से खरीदी गयी थी। राजेन्द्र प्रसाद के पूर्वजों ने उक्त भूखण्ड दिनांक 01.12.1942 के निबंधित वसीका से शेख अब्दुल रऊफ से खरीदा था।

(3) प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी आवेदकगण के बिक्रेता के नाम से कायम है, तथा उसके पूर्व के भूधारियों के नाम से भी जमाबंदी कायम थी।

(4) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की खरीदगी के पश्चात दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं० $\frac{184}{2}$ वर्ष 2014-15 के अंतर्गत अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(5) दाखिल खारिज वाद सं० $\frac{184}{2}$ वर्ष 2014-15 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक 06.08.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं० 28/2014-15 दायर की गयी।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपील अस्वीकृत कर दी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 28/2014-15 में दिनांक 09.01.2015 को पारित आदेश को अनुचित बताते हुए उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि

(1) दाखिल खारिज अपील वाद सं० 28/2014-15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 09.01.2015 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड बिहार सरकार द्वारा अर्जित है। अर्जन के तथ्य को छुपाकर आवेदकगण के द्वारा विवादित भूखण्ड का निबंधन कराया गया है।

(3) बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 1962 में दुजरा मौजा के प्रश्नगत खेसरा सं० 400 सहित कुल 57.71 एकड़ भूखण्ड का अर्जन पटना Improvement Trust के लिए किया गया था, जिसका नाम वाद में PRDA हुआ। वर्तमान में PRDA विघटित होकर पटना नगर निगम के अन्तर्गत समाहित हो गया है। PRDA के द्वारा अर्जित कुल भूखण्ड में से 30.02 एकड़ बुद्धा गृह निर्माण समिति को आवंटित किया गया।

(4) दिनांक 14.08.1986 को तत्कालीन समाहर्ता, पटना के द्वारा अर्जित भूखण्ड के प्लॉट नं० के साथ एक आम सूचना प्रकाशित करायी गयी थी कि कुल 57.71 एकड़ अर्जित भूखण्ड का दखल पटना उन्नयन न्यास को दिनांक 05.02.1962 को दे दिया गया। पटना उन्नयन न्यास के द्वारा उक्त भूखण्ड में से 30.02 एकड़ का कब्जा वर्ष 1975 में बुद्ध गृह निर्माण सहयोग समिति को दे दिया गया। अर्जित भूखण्ड एवं गृह निर्माण सहयोग समिति को हस्तांतरित भूखण्ड पर बाहरी व्यक्ति के कब्जे को अतिक्रमण माना गया था। आम सूचना में प्लॉट सं० 400 भी सम्मिलित है।

(5) उपाध्यक्ष, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के पत्रांक 533 दिनांक 15.02.2002 के द्वारा जिला अवर निबंधक, पटना को अर्जित भूखण्ड के निबंधन पर रोक लगाने हेतु लिखा गया था।

(6) प्रश्नगत भूखण्ड का वास्तविक स्वामी वर्तमान में पटना नगर निगम है। निगरानी पदाधिकारी पटना नगर निगम के पत्रांक 5168 दिनांक 23.08.2014 के द्वारा इस वाद के आवेदक को सुचित किया गया था कि

प्रश्नगत खेसरा सं० 400 पर आवेदक के द्वारा अवैध रूप से दखल कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अविलम्ब निर्माण कार्य बन्द करने का निदेश दिया गया था।

(7) आवेदकगण के बिक्रेता एवं उनके बिक्रेता के नाम से यदि कोई जमाबंदी कायम है तो उसे वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि तथ्यों को छुपा कर जमाबंदी कायम करायी गयी है।

(8) पुनरीक्षण वाद में कोई तथ्य नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर का आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छायाप्रति दाखिल की गयी है :-

(1) समाहर्ता, पटना के द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना

(2) उपाध्यक्ष, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का पत्रांक 533 दिनांक 15.02.2002

(3) निगरानी पदाधिकारी, पटना नगर निगम का पत्रांक 5168 दिनांक 23.08.2014

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से स्पष्ट है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड बिहार सरकार के द्वारा अर्जित है। समाहर्ता, पटना के द्वारा समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित कर अर्जित खेसरा की जानकारी आम लोगों की दी गयी तथा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य लोगों के दखल-कब्जा को अतिक्रमण माना गया।

(2) उपाध्यक्ष, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के पत्रांक 533 दिनांक 15.02.2002 से जिला अवर निबंधक, पटना को अर्जित भूखण्ड की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का निदेश दिया गया। उसके बाद भी तथ्य को छुपाकर आवेदकगण के द्वारा वर्ष 2014 में प्रश्नगत भूखण्ड का निबंधन कराया गया।

(3) निगरानी पदाधिकारी, पटना नगर निगम के द्वारा भी इस वाद के आवेदकगण को अवैध दखलकार मानते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी।

(4) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाना पूर्णतः विधि सम्मत है।

(5) दाखिल खारिज अपील वाद सं० 28/2014-15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 09.01.2015 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
लेखापित्त एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना

